

समक्ष : एस.जे. वज़ीफ़दार, एसीजे और जी.एस. संधावलिया से पहले, माननीय न्यायमूर्ति

रीबा टेक्सटाइल लिमिटेड - अपीलकर्ता

बनाम

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली और अन्य-
उत्तरदाता

सीईए संख्या 62-64, 2013

21 अप्रैल, 2015

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 - धाराएं 5-ए(1) और 35(जी) - वित्त अधिनियम, 1999 - धारा 133 - अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट - केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 22 दिनांक 31.03.2003 - अपीलकर्ता 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई थी - इसने उच्च गति की खरीद की डीजल (एचएसडी) मूल उत्पाद शुल्क से मुक्त - अपीलकर्ता को वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 के तहत 09.07.2004 से शिक्षा उपकर के साथ विभिन्न दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एईडी) का भुगतान करना पड़ा - अपीलकर्ता ने भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के लिए आवेदन दायर किया एचएसडी के संबंध में विभिन्न मदों पर इस आधार पर कि 31.03.2003 को जारी छूट अधिसूचना में एचएसडी पर लगाए गए एईडी से भी छूट दी गई थी - माना गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना दिनांक 31.03.2003 में, सरकार ने उसमें निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से छूट दी थी, अर्थात् , केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के सामान) अधिनियम, 1957 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ा सामग्री) अधिनियम, 1978 - अधिसूचना में इरादा स्पष्ट था कि छूट अतिरिक्त के संबंध में लागू नहीं होनी थी वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क - छूट नहीं दी जा सकती।

अभिनिर्धारित किया गया कि हमारे समक्ष मामले में, यह समान रूप से स्पष्ट है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5-ए (1) के तहत अधिसूचना में, सरकार ने उसमें निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से छूट दी है, अर्थात्: केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (विशेष महत्व के सामान) अधिनियम, 1957 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ा सामग्री) अधिनियम, 1978। इरादा स्पष्ट रूप से केवल निर्दिष्ट अधिनियमों के संबंध में छूट को सीमित करने का था। वित्त अधिनियम, 1999 उनमें से एक नहीं था।

(पैरा 12)

इसके अलावा अभिनिर्धारित किया कि, अधिसूचना को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह छूट वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाए गए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संबंध में लागू नहीं होगी।

(पैरा 13)

इसके अलावा अभिनिर्धारित किया, कानूनी प्रश्न का उत्तर उत्तरदाताओं के पक्ष में दिया जाता है। अपीलें खारिज की जाती हैं। हालाँकि, खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

(पैरा 1६)

अपीलकर्ता की तरफ़ से अक्षय भान, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में आलोक मित्तल, अधिवक्ता

उत्तरदाता की तरफ़ से कमल सहगल, अधिवक्ता

एस जे वज़ीफ़र, एसीजे

- (1) ये अपीलें कानून का एक सामान्य प्रश्न उठाती हैं और इसलिए, एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाई जाती हैं। हम सुविधा के लिए 2013 के सीईए संख्या 62 के तथ्यों का उल्लेख करेंगे।
- (2) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) द्वारा पारित दिनांक 08.05.2012 के आदेश को रद्द करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35G के तहत अपील दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज करने वाले प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है। वित्त अधिनियम, 1999 के तहत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि की वापसी का आदेश दिया जाता है।
- (3) अपील यह उल्लिखित करते दायर की गई है कि कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं: -
 - (a) क्या निचली अदालतों ने अपने आदेश दिनांक 28.03.2007 और 08.05.2012 में गलती की है, जिसमें अधिसूचना संख्या 22/2003 के प्रावधान के तहत अपीलकर्ता पर लगाए गए उत्पाद शुल्क से छूट देते हैं।
 - (b) क्या विवादित आदेश कानून द्वारा समर्थित नहीं हैं और इस प्रकार आदेश अवैध, मनमाना और निष्प्रभावी हैं।
- (4) हालाँकि, हम निम्नानुसार बनाए गए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील स्वीकार करते हैं: -

क्या अपीलकर्ता केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए(1) के तहत जारी दिनांक 31.03.2003 की अधिसूचना के मद्देनजर वित्त अधिनियम, 1999 के तहत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट का हकदार है।

(5) अपीलकर्ता 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) है। इसने दिनांक 31.03.2003 की एक छूट अधिसूचना के तहत उत्पाद शुल्क से मुक्त माल खरीदा, जो वर्ष 1994 से जारी इसी तरह की अधिसूचनाओं से पहले था। अप्रैल, 1999 से मार्च, 2006 तक, अपीलकर्ता ने उक्त अधिसूचना के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से बुनियादी उत्पाद शुल्क से मुक्त हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की खरीद की।

(6) अधिसूचना दिनांक 31.03.2003, जहां तक यह प्रासंगिक है, इस प्रकार है: -

“केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 5 ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के सामान) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ा सामग्री) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उप-धारा (3), केंद्र सरकार संतुष्ट है, कि यह जनहित में आवश्यक है। इसलिये ये छूट दी जाती है.....

(B) इस अधिसूचना के अनुबंध II में निर्दिष्ट सभी सामान, जब निर्यात के लिए अनुबंध-III में निर्दिष्ट माल के उत्पादन, निर्माण या पैकेजिंग के संबंध में बागवानी, कृषि और पशुपालन क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उपक्रम में लाए जाते हैं (इसके बाद उपयोगकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है) उद्योग; या.....

(E) संपूर्ण से.....

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के तहत उस पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क;

(ii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के तहत उस पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो; और

(iii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ा सामग्री) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के तहत उस पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्:-

21. अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित बिजली उत्पादन सेटों के लिए हाई स्पीड डीजल तेल।

- (7) अपीलकर्ता ने वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 के तहत 09.07.2004 से शिक्षा उपकर के साथ विभिन्न दरों पर एचएसडी के संबंध में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एईडी) का भुगतान किया। इसके बाद अपीलकर्ता ने धन की वापसी के लिए 07.09.2006 को एक आवेदन दायर किया। एचएसडी के संबंध में विभिन्न समय पर शुल्क भुगतान किया गया। अपीलकर्ता ने रिफंड के लिए आवेदन इस आधार पर किया कि 31.03.2003 को जारी अधिसूचना में वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 के तहत एचएसडी पर लगाए गए एईडी से भी छूट दी गई है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसने गलती से एईडी का भुगतान कर दिया। अपीलकर्ता को आवेदन के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया गया। आवेदन खारिज कर दिया गया। अस्वीकृति की पुष्टि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और CESTAT के आक्षेपित आदेश द्वारा की गई थी।
- (8) अपीलकर्ता का यह तर्क कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत जारी दिनांक 31.03.2003 की छूट अधिसूचना ने उसे वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 द्वारा लगाए गए शुल्क के भुगतान से भी छूट दी थी, ट्रिब्यूनल द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह उचित नहीं था।
- (9) वित्त अधिनियम की धारा 133 इस प्रकार है:-

धारा 133-(1) दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में, जो भारत में निर्मित माल हैं, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में उक्त अनुसूची में निर्धारित दर पर गणना की गई राशि लगाई और एकत्र की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत ऐसे माल पर लगाए जाने वाले किसी भी अन्य उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(3) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, जिनमें रिफंड और शुल्क से छूट से संबंधित नियम भी शामिल हैं, जहां तक संभव हो, इस धारा के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की उगाही और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे। किसी भी सामान के संबंध में, जैसा भी मामला हो, उस अधिनियम या उन नियमों के तहत ऐसे सामान पर उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने के संबंध में वे लागू होते हैं।

(4) उप-धारा (1) के तहत लगाया जाने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, संघ के उद्देश्यों के लिए होगा और उसकी आय राज्यों के बीच वितरित नहीं की जाएगी।

उप-धारा (1) में संदर्भित दूसरी अनुसूची में एचएसडी शामिल है और शुल्क की दर 1 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है।

- (10) अपीलकर्ता के खिलाफ प्रश्न का उत्तर भारत संघ और अन्य बनाम मेसर्स मोदी रबर लिमिटेड (1) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिया गया है। उस मामले के तथ्य और कानूनी प्रावधान हमारे सामने वाले मामले के समान हैं। उस मामले में प्रश्न केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के तहत जारी दो अधिसूचनाओं में "उत्पाद शुल्क" अभिव्यक्ति के निर्माण से संबंधित है। नियम 8 उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 (ए) के समान है। हमारे सामने मामले में उक्त अधिसूचना उसी अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। नियम 8 के तहत, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु पर लगाए जाने वाले शुल्क के पूरे या उसके किसी हिस्से से छूट देने की हकदार थी। नियम 2(v) में "कर्तव्य" शब्द को अधिनियम की धारा 3 के तहत देय शुल्क के रूप में परिभाषित किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8(1) के तहत जारी छूट केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 के तहत देय उत्पाद शुल्क के पूरे या किसी हिस्से से हो सकती है। केंद्र सरकार ने नियम 8(1) के तहत एक अधिसूचना जारी कर मोटर वाहनों के टायरों को उस पर लगाने वाले उत्पाद शुल्क से छूट दे दी है, जो 55% यथामूल्य से अधिक है। इस अधिसूचना में शब्द "उत्पाद शुल्क" सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं। अन्य प्रकार के टायरों के संबंध में भी एक और अधिसूचना जारी की गई जिसमें भी समान अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क" का उपयोग किया गया। 1963 से समय-समय पर पारित विभिन्न वित्त अधिनियमों द्वारा टायरों पर विशेष उत्पाद शुल्क लगाया गया। सवाल यह था कि क्या यह अभिव्यक्ति केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत उत्पाद शुल्क के मूल शुल्क तक ही सीमित थी या क्या इसमें विभिन्न वित्त विधेयकों और अधिनियमों के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क, अतिरिक्त शुल्क के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क भी शामिल थे। उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम, 1957 और केंद्रीय अधिनियम के तहत लगाया गया कोई अन्य प्रकार का उत्पाद शुल्क। वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 32, जो उस मामले में प्रासंगिक थी, इस प्रकार है -

“32. उत्पाद शुल्क के विशेष कर्तव्य - (1) समय-समय पर संशोधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के साथ प्रभार्य वस्तुओं के मामले में, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए समय के लिए किसी भी अधिसूचना के साथ पढ़ें। इस प्रकार प्रभार्य शुल्क के संबंध में ऐसे माल पर प्रभार्य राशि के पांच प्रतिशत के बराबर विशेष उत्पाद शुल्क लगाया और वसूला जाएगा।

(2) उपधारा (1) मार्च 1980 के 31वें दिन के बाद प्रभावी नहीं रहेगी, सिवाय ऐसे कार्यों के जो ऐसे समाप्ति से पहले किए गए या किए जाने से छूट गए; और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6, ऐसे उप-धारा पर लागू होगी जैसे कि उक्त उप-धारा को किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया हो।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विशेष उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत ऐसे माल पर लगाए जाने वाले किसी भी उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त होंगे।

(4) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, जिनमें रिफंड और शुल्क से छूट से संबंधित नियम भी शामिल हैं, जहां तक संभव हो, इस धारा के तहत लगाए जाने वाले विशेष उत्पाद शुल्क के आरोपण और संग्रह के संबंध में लागू होंगे। किसी भी सामान के संबंध में, जैसा कि वे उस अधिनियम या उन नियमों के तहत उत्पाद शुल्क के आरोपण और संग्रह के संबंध में लागू होते हैं, जैसा भी मामला हो।”

उप-धारा (3) और (4) वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 की उप-धारा (2) और (3) के समान हैं, जो हमारे सामने आने वाले मामले में प्रासंगिक हैं।

(11) इस धारणा पर कि नियम 8(1) के तहत जारी अधिसूचना में केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए गए मूल उत्पाद शुल्क के संबंध में आंशिक छूट दी गई है, करदाता ने उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के संबंध में किसी भी छूट का दावा नहीं किया। इसके बाद, करदाता ने तर्क दिया कि नियम 8(1) के तहत अधिसूचना के कारण, उसे न केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत लगाए गए मूल उत्पाद शुल्क के संबंध में भुगतान से छूट दी गई थी, बल्कि वित्त अधिनियम के तहत लगाया गये उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के संबंध में भी छूट दी गई थी। इस विवाद को खारिज करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम मेसर्स मोदी रबर लिमिटेड (सुप्रा) में फैसले के पैराग्राफ 7 और 9 को निम्नानुसार रखा: -

“ 7. जैसा कि प्रारंभिक भाग से पता चलता है, ये दोनों अधिसूचनाएं केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8(1) के तहत जारी की गई हैं और चूंकि नियम 2 में 'शुल्क' की परिभाषा है, इसलिए खंड (v) को आवश्यक रूप से नियम 8(1) में पेश किया जाना चाहिए।) और नियम 8(1) में अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क" को उस परिभाषा के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, नियम 8(1) के तहत जारी इन दो अधिसूचनाओं में प्रयुक्त समान अभिव्यक्ति की भी उसी अर्थ में व्याख्या की जानी चाहिए, अर्थात्, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क और इन दोनों अधिसूचनाओं के तहत दी गई छूट को केवल ऐसे उत्पाद शुल्क तक ही सीमित माना जाना चाहिए। लेकिन उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क" बड़े आयामों में से एक थी और किसी भी प्रतिबंधात्मक या सीमित शब्दों के अभाव में यह संकेत मिलता था कि इसका उद्देश्य केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क को संदर्भित करना था। इसे सभी उत्पाद शुल्कों को कवर करने के लिए माना जाना चाहिए, चाहे वे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए गए हों या किसी अन्य अधिनियम के तहत। उत्तरदाताओं ने इस तर्क का समर्थन करने की मांग करते हुए कहा कि जब भी केंद्र सरकार एक अधिसूचना के तहत दी गई छूट को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क तक सीमित रखना चाहती थी, तो केंद्र सरकार ने अपना इरादा पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। सीमा के उपयुक्त शब्द जैसे "केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 के तहत लगाए जाने योग्य उत्पाद शुल्क" या "केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए जाने योग्य उत्पाद शुल्क" या " अधिसूचना संख्या सीईआर-8(3)/55-सी.ई. के अनुसार उक्त अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। दिनांक 17 सितम्बर 1955, अधिसूचना संख्या 255/77-सी.ई. दिनांक 20 जुलाई 1977, अधिसूचना संख्या सीईआर-8(1)/55-सी.ई. दिनांक 2 सितम्बर 1955, अधिसूचना संख्या सीईआर-8(9)/55-सी.ई. दिनांक 31 दिसम्बर 1955, अधिसूचना संख्या 95/61-सी.ई. दिनांक 1 अप्रैल 1961, अधिसूचना क्रमांक 23/55-सी.ई. दिनांक 29 अप्रैल, 1955 और इसी प्रकार की अन्य अधिसूचनाएँ। लेकिन, यहां उत्तरदाताओं ने कहा, प्रश्न में दो अधिसूचनाओं में सीमा के ऐसे किसी भी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है और अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क" को इसके स्पष्ट प्राकृतिक अर्थ के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें विशेष शुल्क सहित उत्पाद शुल्क के सभी कर्तव्य शामिल हैं। उत्पाद शुल्क और उत्पाद शुल्क का सहायक शुल्क। अब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऊपर उल्लिखित इन विभिन्न अधिसूचनाओं में, केंद्र सरकार ने नियम 8(1) के तहत छूट देते समय निर्दिष्ट भाषा का उपयोग किया है, जो दर्शाता है कि ऐसी प्रत्येक

अधिसूचना के तहत दी गई छूट, कुल या आंशिक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के संबंध में। लेकिन, केवल इसलिए कि, मसौदा तैयार करने के मामले में, केंद्र सरकार ने कुछ अधिसूचनाओं में विशेष रूप से उत्पाद शुल्क का उल्लेख किया है जिसके संबंध में छूट "कर्तव्य के कर्तव्य" के रूप में दी गई है। उत्पाद शुल्क" केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाया जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि विशिष्टता के ऐसे शब्दों की अनुपस्थिति में, अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क" को स्वयं उत्पाद शुल्क के सभी कर्तव्यों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। यह पाया जाना असामान्य नहीं है कि विधायिका कभी-कभी, अपने इरादे को संदेह से परे स्पष्ट करने की दृष्टि से, प्रचुर मात्रा में कॉटेला भाषा का उपयोग करती है, हालांकि यह सख्ती से आवश्यक नहीं हो सकता है और इसके बिना भी उसी इरादे को न्यायिक मामले के रूप में वर्णित किया जा सकता है। निर्माण और कार्यपालिका द्वारा अधीनस्थ कानून के मामले में ऐसा और भी अधिक होगा। कार्यकारी विभाग में अधीनस्थ कानून के एक विशेष टुकड़े का मसौदा तैयार करने वाला अधिकारी इसके इरादे के बारे में संभावित संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने या कभी-कभी अधिक पूर्णता के लिए शब्दों का उपयोग कर सकता है, हालांकि ये शब्द इसके अर्थ और दायरे में कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। अधीनस्थ विधान. यहां, वर्तमान अधिसूचनाओं में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए जाने योग्य उत्पाद शुल्क शब्द को उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किए गए अन्य अधिसूचनाओं की तरह जगह नहीं मिलती है। लेकिन, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि इन अधिसूचनाओं में अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क" का उद्देश्य उत्पाद शुल्क के विशेष और सहायक कर्तव्यों सहित उत्पाद शुल्क के सभी कर्तव्यों को संदर्भित करना था। इन शब्दों की अनुपस्थिति हमें इन अधिसूचनाओं में अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क" की व्याख्या करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती है। हमें अभी भी इस अभिव्यक्ति का अर्थ लगाना है - इसका अर्थ और महत्व क्या है - और यह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जिसमें यह घटित होता है। हमने पहले ही बताया है कि ये अधिसूचनाएं नियम 8(1) के तहत जारी की गई हैं, इन अधिसूचनाओं में अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क" का वही अर्थ होना चाहिए जो नियम 8(1) में है और इसका स्पष्ट अर्थ है - उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय, जैसा कि नियम 2 खंड (v) में परिकल्पित है। इन परिस्थितियों में इसका कोई विस्तारित अर्थ नहीं हो सकता है ताकि इसमें विशेष उत्पाद शुल्क और सहायक उत्पाद शुल्क शामिल किया जा सके।

.....

9. हमने पहले ही बताया है, और यह उत्तरदाताओं के विवाद के खिलाफ प्रमुख तर्कों में से एक है, कि नियम 2 के खंड (v) में "कर्तव्य" की परिभाषा के

कारण, जिसे नियम 8(1) में पढ़ा जाना चाहिए, 1 अगस्त, 1974 और 1 मार्च, 1981 की अधिसूचनाओं में अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क" को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तरदाताओं ने उप-पर भरोसा करके इस निष्कर्ष का मुकाबला करने की मांग की। वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 32 की धारा (4) - प्रत्येक वित्त अधिनियम में उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क लगाने के लिए एक समान प्रावधान है - जो प्रदान करता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम शामिल हैं शुल्कों से रिफंड और छूट से संबंधित, जहां तक संभव हो, उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के आरोपण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।, 1944. उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया गया था कि इस प्रावधान के कारण, उत्पाद शुल्क से छूट से संबंधित नियम 8(1) उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के आरोपण और संग्रहण और विशेष शुल्क के भुगतान से छूट के संबंध में लागू हो गया है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा नियम 8(1) के तहत उत्पाद शुल्क उसी तरह से दिया जा सकता है, जिस तरह से केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क के संबंध में दिया जा सकता है। उत्तरदाताओं का तर्क इस आधार पर यह कहा गया कि शक्ति के स्रोत के रूप में नियम 8(1) का संदर्भ जिसके तहत 1 अगस्त 1974 और 1 मार्च 1981 की अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दर्शाता है कि उत्पाद शुल्क से इन दो अधिसूचनाओं के तहत जो छूट दी गई थी वह केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क तक सीमित थी और इन दो अधिसूचनाओं में अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क" को वैध रूप से विशेष उत्पाद शुल्क के रूप में समझा जा सकता है। हमारी राय में, यह तर्क ठीक से स्थापित नहीं है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता। यह स्पष्ट है कि जब नियम 8(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क से छूट देने वाली एक अधिसूचना जारी की जाती है, तो बिना किसी और बात के, इसे 'शुल्क' की परिभाषा के कारण जारी किया जाना चाहिए। नियम 2 खंड (v) जिसे निर्माण के सुमान्य सिद्धांतों के अनुसार नियम 8(1) में पेश किया जाएगा, केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क के संबंध में छूट देने के रूप में पढ़ा जाएगा। निस्संदेह, वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 32 की उप-धारा (4) और अन्य वित्त अधिनियमों में समान

प्रावधान के कारण, नियम 8(1) लागू हो जाएगा जो केंद्र सरकार को उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के भुगतान से छूट देने का अधिकार देता है। लेकिन जब केंद्र सरकार इस शक्ति का प्रयोग करती है, तो वह धारा 32 की उपधारा (4) या अन्य समान प्रावधान के साथ पठित नियम 8(1) के तहत ऐसा करेगी। ऐसे मामले में शक्ति के स्रोत का संदर्भ केवल नियम 8(1) के लिए नहीं होगा, क्योंकि यह अपने स्वयं के बल पर और अपनी भाषा में उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के संबंध में छूट देने पर लागू नहीं होता है, लेकिन संदर्भ धारा 32 की उपधारा (4) या अन्य समान प्रावधान के साथ पठित नियम 8(1) का होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सभी वर्षों के दौरान, जब भी केंद्र सरकार द्वारा विशेष उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट की मांग की जाती है, तो छूट देने वाली अधिसूचना में शक्ति के स्रोत का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया गया है। विशेष उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने वाले कानून के प्रासंगिक प्रावधान के साथ पठित नियम 8(1), जिसके द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम जिनमें शुल्क से छूट से संबंधित नियम शामिल हैं लागू किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, 1 अगस्त 1978 की अधिसूचना संख्या 63/78 को लें, जहां कुछ उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के संबंध में "खंड 37 के उप-खंड (1) के तहत लगाए जाने वाले संपूर्ण विशेष उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।" वित्त विधेयक, 1978"। इस अधिसूचना में वर्णित शक्ति का स्रोत "केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 का उप-नियम (1) वित्त विधेयक, 1978 के खंड 37 के उप-खंड (5) के साथ पढ़ा गया" है। 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 29/79 में भी अनिर्मित तम्बाकू को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क और उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के सामान) के अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई है।) अधिनियम, 1957", अधिसूचना के शुरुआती भाग में उल्लिखित शक्ति के स्रोत का संदर्भ "केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 का उप-नियम (1) धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पढ़ा जाता है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम, 1957" उत्तरदाताओं ने वास्तव में विशेष उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संबंध में छूट देने वाली कई अधिसूचनाएँ प्रस्तुत की हैं और इनमें से प्रत्येक अधिसूचना में, हम पाते हैं कि बिजली के स्रोत को नियम 8 के उप-नियम (1) के रूप में वर्णित किया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 विशेष उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने वाले कानून के प्रासंगिक प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है

जिसके द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और शुल्क से छूट से संबंधित नियमों सहित उसके तहत बनाए गए नियम बनाए जाते हैं। लागू इसके अलावा इन सभी अधिसूचनाओं के तहत दी गई छूट विशेष रूप से विशेष उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जैसा भी मामला हो, को संदर्भित करती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जहां छूट देने वाली अधिसूचना केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत जारी की जाती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के प्रावधानों को बनाने वाले किसी अन्य क़ानून के संदर्भ के बिना। और उसके तहत बनाए गए नियम ऐसे क़ानून के तहत लगाए गए विशेष, सहायक या किसी अन्य प्रकार के उत्पाद शुल्क की वसूली और संग्रहण पर लागू होते हैं, छूट को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क तक सीमित माना जाना चाहिए। ऐसे विशेष, सहायक या अन्य प्रकार के उत्पाद शुल्क को कवर नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में अधिसूचनाएं जारी की गई थीं

भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिषु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़